

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2011

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1572/2011, दिनांक 30.06.2011 एवं पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1673/2011, दिनांक 05.07.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 364ए(1)/सत्तर-6-2011, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
- ✓ 5. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब0 364ए/सत्तर-6-2011-2(379)/2010 दिनांक 07जुलाई, 2011 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1572/2011 दिनांक 30.6.2011 एवं पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1673/2011 दिनांक 05.7.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय धिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अर्न्तगत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

6. शैक्षणिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
7. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
8. महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा ।
9. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
10. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/4146/2011

दिनांक 30/7/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07जुलाई, 2011 के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठांकित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय का वर्ष 2010-2011 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो कि शासन के मानकानुसार 60 प्रतिशत से अधिक है । अतः महाविद्यालय को वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में दिनांक 01.7.2011 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है ।
- ✓ 2. प्रबन्धक(प्रबन्ध समिति) श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति समय-सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
4. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।

211-4146

(सय्यद वकील हुसैन)
कुलसचिव